न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 02/2022

बलजीत शर्मा, पुत्र वासुदेव शर्मा, जाति ब्राहम्मण निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू

— निगरानीकार

—बनाम—

1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
आदेश ग्राम पंचायत सुलताना के प्रस्ताव संख्या—8 दिनांक 15.11.2021

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ———————निगरानीकार की ओर से ।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सुलताना—गैर निगरानीकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 20.06.2022

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुलताना के प्रस्ताव संख्या—8 दिनांक 15.11.2021 ग्राम पंचायत सुलताना के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि—निगरानीकार का कथन है कि ग्राम पंचायत सुताना ने पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को जारी किया था। उक्त पट्टा जारी करने के पश्चात सीताराम तुलस्यान पुत्र विलासराम तुलस्यान व प्रदीप कुमार तुलस्यान पुत्र ओमप्रकाश तुलस्यान ने उक्त पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 के विरूद्ध एक निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसके नम्बर 3/2009 उनवानी सीताराम आदि बनाम बलजीत आदि दर्ज हुई। उक्त [illegible] को निर्णय पारित किया गया कि उक्त निर्णय में निगरानी आंशिक [illegible] संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को निरस्त किया गया तथा [illegible] पंचायत [illegible] चिड़ावा को इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि प्रकरण को ग्राम पंचायत बैठक में रखकर मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्य दोनों पक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण जांच करने के उपरांत विधि प्रक्रिया अपनाकर नियमों के अनुसरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त निर्णय के पश्चात ग्राम पंचायत सुलताना ने दिनांक 20.4.2021 को ग्राम पंचायत सुलताना की बैठक आहत की गयी, जिसमें मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाी गई, तथा पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर ग्राम पंचायत द्वारा श्री बलजीत शर्मा को जारी पट्टा पटवारी रिपोर्ट, गवाहना बयान, मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वामित्व के आधार पर आवेदक के शपथ पत्र आदि सभी प्रक्रिया पूर्ण कर जारी किया गया माना गया तथा उक्त पट्टे शुदा भूमि बलजीत शर्मा की मानी गयी । ग्राम पंचायत सुलताना ने निगरानीकार का स्वामित्व माना परन्तु पट्टे को वैध नहीं मानने में गलती कानूनी की है या तो ग्राम पंचायत को पट्टा पुनः जारी करना चाहिये था या उक्त पट्टा संख्या–22 के बबत यह विशलेषण देना चाहिये था कि उक्त पट्टा सही एवं वैध है। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत सुलताना को निर्देश दिया जावे कि वो पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को वैध होने का पृषठांकन पट्टे पर करे या निगरानीकार के पक्ष में नाम पट्टा जारी किये जाने का आदेश फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर ग्राम पंचायत सुलताना की मिसल तलब की गई। बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– ग्राम पंचायत सुताना ने पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को जारी किया था। उक्त पट्टा जारी करने के पश्चात सीताराम तुलस्यान पुत्र विलासराम तुलस्यान व प्रदीप कुमार तुलस्यान पुत्र ओमप्रकाश तुलस्यान ने उक्त पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 के विरूद्ध एक निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिसके नम्बर 3/2009 उनवानी सीताराम आदि बनाम बलजीत आदि दर्ज हुई। उक्त निगरानी में दिनांक 16.3.2011 को निर्णय पारित किया गया कि उक्त निर्णय में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की गयी तथा पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को निरस्त किया गया तथा पत्रावली ग्राम पंचायत सुलताना पंचायत समिति चिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि प्रकरण को ग्राम पंचायत बैठक में रखकर मौके की जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्य दोनों पक्षों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण जांच करने के उपरांत विधि प्रक्रिया अपनाकर नियमों के अनुसरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त निर्णय के पश्चात ग्राम पंचायत सुलताना ने दिनांक 20.4.2021 को ग्राम पंचायत सुलताना की बैठक आहत की गयी, जिसमें मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाी गई, तथा पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर ग्राम पंचायत द्वारा श्री बलजीत शर्मा को जारी पट्टा पटवारी रिपोर्ट, गवाहना बयान, मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वामित्व के आधार पर आवेदक के शपथ पत्र आदि सभी प्रक्रिया पूर्ण कर जारी किया गया माना गया तथा उक्त पट्टे शुदा भूमि बलजीत शर्मा की मानी गयी । ग्राम पंचायत सुलताना ने निगरानीकार का स्वामित्व माना परन्तु पट्टे को वैध नहीं मानने में गलती कानूनी की है या तो ग्राम पंचायत को पट्टा पुनः जारी करना चाहिये था या उक्त पट्टा संख्या–22 के बबत यह विशलेषण देना चाहिये था कि उक्त पट्टा सही एवं वैध है। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत सुलताना को निर्देश दिया जावे कि वो पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को वैध होने का पृषठांकन पट्टे पर करे या निगरानीकार के पक्ष में नाम पट्टा जारी किये जाने का आदेश फरमावें।

ग्राम पंचायत सुलाताना की ओर से लिखित निवेदन किया गया कि निगरानी प्रकरण संख्या 3/2009 दिनांक 16.3.2011 को पारित निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.4.2021 द्वारा पारित निर्णय की प्रति संलग्न की जिसके अनुसार– ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के अन्तर्गत कब्जे को आधार बनाकर पट्टा जारी कि जाता है। नियम 157 के अनुसार इन नियमों के लागू होने से गत 50 वर्षों या उससे अधिक समय से काबिज व्यक्तियों को उनके मकान का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री बलजीत शर्मा को जारी पट्टा पटवारी रिपोर्ट, गवाह बयान, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, स्वामित्व के आधार पर आवेदक के शपथ पत्र आदि सभी प्रक्रिया पूर्ण कर जारी किया गया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पारित निगरानी संख्या 3/2009 निर्णय दिनांक 16.3.2011 में पारित आदेश के अनुसार निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 22 दिनांक 21.7.2008 को निरस्त किया गया तथा पत्रावली ग्राम पंचायत सुलताना, पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

समिति चिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि प्रकरण को ग्राम पंचायत बैठक में रखकर मौके जांच रिपोर्ट प्राप्त कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की पूर्ण जांच करने के उपरान्त विधि प्रकिया अपनाकर नियमों के अनुसरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

इस प्रकार निगरानी संख्या 3/2009 निर्णय दिनांक 16.3.2011 में पारित आदेश की पालना में ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत सदन में रखा जाकर ग्राम पंचायत सुलताना के आदेश दिनांक 5.11.2007 व पट्टा संख्या–22 दिनांक 21.7.2008 के द्वारा श्री बलजीत शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी सुलताना के नाम से जारी पट्टा ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा बाद जांच प्रस्ताव संख्या–08 ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.4.2021 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पूर्व में जारी उक्त पट्टे को सही एवं विधिक प्रकिया के अन्तर्गत जारी होना माना है। ऐसी स्थिति में श्री बलजीत शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी सुलताना के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या–22 दिनांक 21.7.2008 जिसको निगरानी संख्या 3/2009 निर्णय दिनांक 16.3.2011 के द्वारा निरस्त किया गया था जो बाद जांच ग्राम पंचायत सुलताना सही एवं विधिक प्रकिया के अन्तर्गत जारी होना पाये जाने के कारण श्री बलजीत शर्मा के नाम से पूर्व में जारी उक्त पट्टे को बहाल रखते हुये वैध घोषित किया जाता है। मिसल ग्राम पंचायत सुलताना आदेश की प्रति के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:57:52 IST
Reason: SelfAttested